न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट्र–ट्रैक) इटावा जिला कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	दायरा तिथि	फैसल तारीख
45/2023	31.05.2023	31/7/23

बउनवान

1– कौशल्या बाई पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति मीना निवासी खेडली देव तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास छत्रपुरा, रायथल तह. अन्ता जिला बारॉं(राज.)

2– गोविन्द मीना पुत्र हेमराज जाति मीना निवासी खेडली देव तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज.)

– वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 आरटीएक्ट</u>

– निर्णय –

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेडलीदेव पटवार हलका गंडावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खाता संख्या 38 की खसरा संख्या 225 रकबा 0.02 है.,खसरा संख्या 244 रकबा 1.38 है., खसरा संख्या 253/370 रकबा 1.25है., कुल किता 3 कुल रकबा 2.65है. कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि से संबोधित की गई हे। जिसे आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि से संबोधित की गई हे।

उक्त भूमि वादीगण की कदीमी पैतृक भूमिया है। वादीगण का नाम कौशल्या बाई, गोविन्द मीना है तथा वादीक्रम 1 के पिता का नाम कान्हा उर्फ कन्हैयालाल है। तथा वादीक्रम 2 के पिता का नाम स्व. हेमराज मीना है। किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम खेडलीदेव की खसरा संख्या 225 रकबा 0.02 है.,खसरा संख्या 244 रकबा 1.38 है., खसरा संख्या 253/370 रकबा 1.25है., कुल किता 3 कुल रकबा 2.65है. कृषि भूमि स्थित है मैं वादीगण का नाम कौशल्या बाई, गोविन्द मीना के स्थान पर मडी, योगेन्द्र अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से दुरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि अन्य शासकीय

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

दस्तावेजो में, वादीगण का नाम कौशल्या बाई, गोविन्द मीना ही अंकित है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। जिसे परिशुद्ध किया जाकर विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम मडी, योगेन्द्र के स्थान पर कौशल्या बाई, गोविन्द मीना अंकित करवाने के विधिक अधिकारी है।

विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादी राजकीय कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादी से निवेदन करने पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। इस परिस्थिति मे वादीगण के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तुत वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा को भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरुद्व वाद लाने के लिये धारा 80 दी. प्र. सं. के प्रावधानों की पालना आवश्यक हैं किन्तु राजस्व अभिलेख मे हो रहे उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण वादीगण को घोर समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी के विरुद्ध वाद करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80 (2) दी.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र प्रथक् से प्रस्तुत है।

5. यह कि वाद कारण दिनांक 05.05.2023 वादी द्वारा प्रतिवादी से उपरवर्णित पुष्टि परिशुद्ध करने बाबत निवेदन किया तो शासन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने बाबत हिदायत देने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष मे, विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय का निर्णय एवम् डिक्री पारित करने की कृपा करे कि ग्राम खेडलीदेव की खसरा संख्या 225 रकबा 0.02है.,खसरा संख्या 244 रकबा 1.38है.,खसरा संख्या 253/370 रकबा 1.25है.,कुल किता 3 कुल रकबा 2.65है. भूमि मे वादीगण का नाम मडी पुत्री कान्हा, योगेन्द्र पुत्र हेमराज के स्थान पर कौशल्या बाई पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल, गोविन्द मीना पुत्र हेमराज मीना अंकित कर दिया जावे तदनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पत्रावली में पटवार हलका द्वारा अजमेंआम में हस्ताक्षरयुक्त मौका

इटावा जिला कोटा

पर्चा तैयार किया जाकर प्रस्तुत प्रार्थी गोविन्द पुत्र हेमराज का नाम राजस्व रेकार्ड में योगेन्द्र पुत्र हेमराज व कौशल्या पुत्री कान्हा का नाम राजस्व रेकार्ड में मंडी पुत्री कान्हा दर्ज रेकार्ड है। मजमें आम व वादीगण के परिवार से जानकारी करने पर पाया गया की योगेन्द्र पुत्र हेमराज व मंडी पुत्री कान्हा का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज हो गया था जिनके नाम मुताबिक दस्तावेज अंकतालिका, आधारकार्ड, राशनकार्ड, व अन्य दस्तावेजों के गोविन्द पुत्र हेमराज व कौशल्या पुत्री कान्हा है, गांव में दोनों नामों से पुकारा जाता है जबकि वास्तविक नाम योगेन्द पुत्र हेमराज का गोविन्द पुत्र हेमराव व मंडी पुत्री कान्हा का कौशल्या पुत्री कान्हा होना बताया है। पटवार हलका द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा विस्तृत एवं पर्याप्त है। इसलिए जवाब सरकार की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजीयात् में वादीगण का नाम मडी पुत्री कान्हा, योगेन्द्र पुत्र हेमराज के स्थान पर कौशल्या बाई पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल, गोविन्द मीना पुत्र हेमराज मीना अंकित कर दिया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रकार्ड एवं मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा जो कि मजमेंआम में तैयार किया है तथा वादीगण के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भी वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज होना बताया है तथा अन्य दस्तावेजो में वादीगण का अलग नाम दर्ज है। समय-समय पर राज्य सरकार भी कैम्पों के माध्यम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज अशुद्धि को दुरस्त करने के निर्देश प्राप्त होते है। यहां हम यह समझते है कि यदि किसी खातेदार का राजस्व रेकार्ड में नाम गलत दर्ज है तो उसे खाते की भूमि को काश्त करने में परेशानी उठानी पडती है। ऐसी स्थिति राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडलीदेव की खसरा संख्या 225 रकबा 0.02है.,खसरा संख्या 244 रकबा 1.38है. ,खसरा संख्या 253/370 रकबा 1.25है.,कुल किता 3 कुल रकबा 2.65है. भूमि में वादीगण का नाम मडी पुत्री कान्हा, योगेन्द्र पुत्र हेमराज के स्थान पर कौशल्या बाई पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल, गोविन्द मीना पुत्र हेमराज मीना अंकित कर दिया जावे राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजीयात् पर रहनभार यथावत रहेगा। उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट्र-ट्रैक) इटावा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दाई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

1– कौशल्या बाई पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति मीना निवासी खेडली देव तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास छत्रपुरा, रायथल तह. अन्ता जिला बारॉ(राज.)

2– गोविन्द मीना पुत्र हेमराज जाति मीना निवासी खेडली देव तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज.)

– वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) –

प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 आरटीएक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री राजेन्द्र मीना एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.............. .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडलीदेव की खसरा संख्या 225 रकबा 0.02है.,खसरा संख्या 244 रकबा 1.38है.,खसरा संख्या 253/370 रकबा 1.25है.,कुल किता 3 कुल रकबा 2.65है. भूमि मे वादीगण का नाम मडी पुत्री कान्हा, योगेन्द्र पुत्र हेमराज के स्थान पर कौशल्या बाई पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल, गोविन्द मीना पुत्र हेमराज मीना अंकित कर दिया जावे राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजीयात् पर रहनमार यथावत रहेगा।

डिकी मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक ...2.1/7/23........ को जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहन्ताना वकील			मेहन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा